

इसे वेबसाईट www.govtpress.mp.gov.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 43]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 24 अक्टूबर 2025—कार्तिक 2, शक 1947

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश,
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं,
(4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश
और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की
अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर 2025

क्र. ई-1-142-2025-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाये गये पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :—

तालिका

क्र. अधिकारी का नाम, बैच तथा
वर्तमान पदस्थापना

नवीन पदस्थापना

खाना (3) में अंकित पद
असंवर्गीय होने की दशा में
संवर्गीय पद जिसके समकक्ष
घोषित किया गया.

(1) (2)

(3)

(4)

1. श्री सुरेश कुमार (2010),
कलेक्टर,
जिला पन्ना.

वि.क.अ.-सह-आयुक्त,
चम्बल संभाग, मुरैना.

अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन.

6655

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	श्री शीलेन्द्र सिंह (2010), कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा.	अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग.	-
3.	श्रीमती नेहा मारव्या सिंह (2011), कलेक्टर, जिला डिण्डोरी.	संचालक, विमुक्त घुमन्तु एवं अर्धघुमन्तु जनजाति, भोपाल.	अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन.
4.	श्री संजीव श्रीवास्तव (2011), कलेक्टर, जिला भिण्ड.	अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग.	-
5.	श्रीमती ऊषा परमान (2011), अपर आयुक्त (राजस्व), भोपाल संभाग, भोपाल.	कलेक्टर, जिला पन्ना.	-
6.	श्री शिवराज सिंह वर्मा (2011), अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग.	अपर आयुक्त (राजस्व), भोपाल संभाग, भोपाल.	-
7.	श्री राजेश बाथम (2012), कलेक्टर, जिला रतलाम.	अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग.	-
8.	श्रीमती रजनी सिंह (2013), वि.क.अ.-सह-श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश, इन्दौर.	कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर.	-
9.	श्री नीरज कुमार वशिष्ठ (2013), संचालक, विमुक्त घुमन्तु एवं अर्धघुमन्तु जनजाति, भोपाल.	कलेक्टर, जिला पाँदुरा.	-
10.	श्रीमती शीतला पटले (2014), कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर.	कलेक्टर, जिला सिवनी.	-
11.	श्री अंकित अस्थाना (2014), कलेक्टर, जिला मुरैना.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग तथा अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार).	-
12.	श्री लोकेश कुमार रामचन्द्र जांगिड (2014), कलेक्टर, जिला निवाड़ी.	कलेक्टर, जिला मुरैना.	-
13.	श्री चन्द्रशेखर शुक्ला (2014), कलेक्टर, जिला सिंगरौली.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग.	-

(1)	(2)	(3)	(4)
14.	डॉ. अभय अरविन्द बेडेकर (2014), कलेक्टर, जिला आलीराजपुर.	अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड, भोपाल.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.
15.	श्री अजय देव शर्मा (2014), कलेक्टर, जिला पांडुरा.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग तथा अतिरिक्त आयुक्त, भू-संसाधन प्रबंधन, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार).	-
16.	श्रीमती नीतू माथुर (2014), अपर आयुक्त (राजस्व), रीवा संभाग, रीवा.	कलेक्टर, जिला आलीराजपुर.	-
17.	श्रीमती अंजू पवन भदौरिया (2014), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला रायसेन.	कलेक्टर, जिला डिण्डोरी.	-
18.	श्रीमती जमुना भिडे (2014), सचिव, जनजातीय प्रकोष्ठ, राजभवन, भोपाल.	कलेक्टर, जिला निवाड़ी.	-
19.	श्रीमती संस्कृति जैन (2015), कलेक्टर, जिला सिवनी.	आयुक्त, नगर पालिक निगम, भोपाल तथा अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन, लिमिटेड, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार).	-
20.	श्रीमती विदिशा मुखर्जी (2015), अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड, भोपाल.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग.	-
21.	श्री किरोड़ी लाल मीना (2016), अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल.	कलेक्टर, जिला भिण्ड.	-
22.	श्री गौरव बैनल (2016), अपर कलेक्टर, जिला इन्दौर.	कलेक्टर, जिला सिंगरौली.	-
23.	श्री हरेन्द्र नारायण (2016), आयुक्त, नगर पालिक निगम भोपाल तथा अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार).	कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा.	-
24.	सुश्री मिशा सिंह (2016), अपर कलेक्टर, जिला जबलपुर.	कलेक्टर, जिला रतलाम.	-

(2) श्रीमती तन्वी हुड्डा, भाप्रसे (2014), अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश, इन्दौर का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

भोपाल, दिनांक 6 अक्टूबर 2025

क्र. ई-1-143-2025-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारी को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाये गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :—

तालिका

क्र. (1)	अधिकारी का नाम, बैच तथा वर्तमान पदस्थापना (2)	नवीन पदस्थापना (3)
1.	श्री दिनेश कुमार मौर्य (2012), वि.क.अ.-सह-नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश, भोपाल.	अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.

(2) श्री दिनेश श्रीवास्तव, भाप्रसे (2010), संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मध्यप्रदेश, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग जैन, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 24 सितम्बर 2025

क्र.GAD-6-0002-2025-GAD-1-एक (GAD).—माननीय न्यायाधिपति श्री प्रेम नारायण सिंह, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ, इन्दौर को डी.आर.-कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय, जबलपुर के प्रस्ताव क्रमांक डी-743 (दो-1-10-2024), दिनांक 11 अगस्त 2025 के अनुक्रम में, दिनांक 28 जुलाई से 1 अगस्त 2025 तक, पांच दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति, साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 27 जुलाई 2025 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

क्र.GAD-6-0006-2025-GAD-1-एक (GAD).—माननीय न्यायाधिपति श्री दिनेश कुमार पालीवाल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को डी.आर.-कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय, जबलपुर के प्रस्ताव क्रमांक बी-5235 (दो-1-23-2024), दिनांक 11 अगस्त 2025 के अनुक्रम में, दिनांक 8 जुलाई से 9 जुलाई 2025 तक दो दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति, उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुमन रैकवार, अवर सचिव.

विधि एवं विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 6 अक्टूबर 2025

“संशोधन आदेश”

फा. क्र. 4109-2025-इक्कीस-ब(एक).—माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रकरण एस. एल. पी. (सिविल) क्रमांक 20414-2025-कौस्तुभ खेड़ा विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य में पारित निर्णय दिनांक 4 अगस्त 2025 के पालन में श्री कौस्तुभ खेड़ा, तत्कालीन सदस्य मध्यप्रदेश, न्यायिक सेवा द्वारा अपना त्याग-पत्र दिनांक 7 अगस्त 2025 दिये जाने के फलस्वरूप राज्य शासन इस संबंध में प्रशासनिक समिति (मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा) के by circulation में दिनांक 11 सितम्बर 2025 को लिये गये निर्णय तथा उक्त निर्णय पर माननीय फुल कोर्ट द्वारा by circulation की बैठक दिनांक 15 सितम्बर 2025 में की गई अनुशंसा के क्रम में अपने पूर्व विभागीय आदेश क्रमांक 3610-2024-इक्कीस-ब (एक), भोपाल दिनांक 5 सितम्बर 2024 में संशोधन करते हुए श्री कौस्तुभ खेड़ा, तत्कालीन सदस्य मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा को दिनांक 5 सितम्बर 2024 से सेवा से उन्मुक्त “Discharge from Service” के स्थान पर सेवा से त्यागपत्र “resigned from service” करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश कुमार, प्रभारी प्रमुख सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश**कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश**

बैतूल, दिनांक 6 अक्टूबर 2025

क्र. 2160-2025.—बंधक श्रम प्रथा (समाप्ति) अधिनियम, 1976 की धारा 10 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी, कलेक्टर, जिला बैतूल, बंधक श्रम प्रथा (समाप्ति) अधिनियम, 1976 की धारा 13(2) के अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता समिति तथा धारा 13(3) के अंतर्गत उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति का पुनर्गठन एतद्वारा करता हूँ :—

जिला स्तरीय बंधक श्रम सतर्कता समिति जिला बैतूल, मध्यप्रदेश**धारा 13 (2) खण्ड (क) के अनुसार—**

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, बैतूल, जिला बैतूल (म. प्र.) — अध्यक्ष

धारा 13 (2) खण्ड (ख) के अनुसार—

1. श्री सतीश पिता श्री सोनबाराव जौधलेकर, कृष्णपुरा वार्ड, बैतूल, जिला बैतूल (म. प्र.) — सदस्य
2. श्री नरेन्द्र पिता श्री भैयालाल उईके, मु. घुग्गी चोपना, घोड़ाडोंगरी, जिला बैतूल (म. प्र.) — सदस्य
3. श्री सीताराम पिता श्री काडमू चढोकर, मु. केरपानी, तह. भैंसदेही, जिला बैतूल (म. प्र.) — सदस्य

धारा 13 (2) खण्ड (ग) के अनुसार—

1. श्री सतीष पिता श्री शिवनारायण बडोनिया, भगतसिंह वार्ड, तलैया मोहल्ला, बैतूल, जिला बैतूल (म. प्र.) — सदस्य
2. श्री शलभ पिता श्री रामकुमार वर्मा, आजाद वार्ड, बैतूल बाजार, बैतूल, जिला बैतूल (म. प्र.) — सदस्य

धारा 13 (2) खण्ड (घ) के अनुसार—

1. पुलिस अधीक्षक, बैतूल, जिला बैतूल (म. प्र.) — सदस्य
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बैतूल, जिला बैतूल (म. प्र.) — सदस्य
3. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, बैतूल, जिला बैतूल (म. प्र.) — सदस्य

धारा 13 (2) खण्ड (घ) के अनुसार—

प्रबंधक, अग्रणी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैतूल, जिला बैतूल (म. प्र.) — सदस्य

नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी, कलेक्टर.

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भैंसदेही, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश

भैंसदेही, दिनांक 19 सितम्बर 2025

क्र. 1476-2025.—बंधक श्रम प्रथा (समाप्ति) अधिनियम, 1976 की धारा 10 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, अजीत मेरावी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भैंसदेही, जिला बैतूल (म.प्र.). बंधक श्रम प्रथा (समाप्ति) अधिनियम, 1976 की धारा 13(3) के अंतर्गत उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति का पुनर्गठन एतद्वारा करता हूँ :—

अनुविभागीय स्तरीय बंधक श्रम सतर्कता समिति अनुविभाग- भैंसदेही, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश**धारा 13 (3) खण्ड (क) के अनुसार—**

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भैंसदेही, जिला बैतूल (म. प्र.) — अध्यक्ष

धारा 13 (3) खण्ड (ख) के अनुसार—

- | | | |
|----|---|---------|
| 1. | श्री कमलसिंह धुर्वे, मु. एनखेडी, भैंसदेही, जिला बैतूल (म. प्र.) | — सदस्य |
| 2. | श्री अशोक बिसौने, मु. चिल्लौर, भैंसदेही, जिला बैतूल (म. प्र.) | — सदस्य |
| 3. | श्री ऋषभदास सावरकर, मु. पो. भैंसदेही, जिला बैतूल (म. प्र.) | — सदस्य |

धारा 13 (3) खण्ड (ग) के अनुसार—

- | | | |
|----|--|---------|
| 1. | श्री शिवदयाल पिता नत्थूजी आजाद, मु. पो. आठनेर, जिला बैतूल (म. प्र.) | — सदस्य |
| 2. | श्री कैलाश गयाप्रसाद शिवहरे, मु. पो. सावालमेंडा तह. भैंसदेही, जिला बैतूल (म. प्र.) | — सदस्य |

धारा 13 (3) खण्ड (घ) के अनुसार—

- | | | |
|----|--|---------|
| 1. | मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, भैंसदेही, जिला बैतूल (म. प्र.) | — सदस्य |
| 2. | मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, आठनेर, जिला बैतूल (म. प्र.) | — सदस्य |
| 3. | मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, भीमपुर, जिला बैतूल (म. प्र.) | — सदस्य |
| 4. | परियोजना प्रशासन, आईटीडीपी, भैंसदेही, जिला बैतूल (म. प्र.) | — सदस्य |

धारा 13 (3) खण्ड (ङ) के अनुसार—

- | | |
|---|---------|
| शाखा प्रबंधक, सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, भैंसदेही, जिला बैतूल (म. प्र.) | — सदस्य |
|---|---------|

धारा 13 (3) खण्ड (च) के अनुसार—

- | | | |
|----|--|---------|
| 1. | तहसीलदार, भैंसदेही, जिला बैतूल (म. प्र.) | — सदस्य |
| 2. | थाना प्रभारी, थाना, भैंसदेही, जिला बैतूल (म. प्र.) | — सदस्य |

अजीत मेरावी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 10 अक्टूबर 2025

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ 82-24-25-पत्र क्र.-1854-भू-अर्जन-2025.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर	तपा	1.1521	उपमुख्य अभियंता	सतना-रीवा बड़ी रेल लाइन के
	बाधेलान	कोठार		(निर्माण) पमरे, जिला	निर्माण हेतु निजी भूमि का
				जबलपुर (म. प्र.).	अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सतीश कुमार एस., कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 अक्टूबर 2025

क्रमांक/PCCF/7/0572/2025-FLR-PCCF :: भारतीय वन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे।

अनुसूची

जिला-सतना

तहसील-

उचेहरा

वनमंडल-सतना

वन परिक्षेत्र-उचेहरा

अ क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएँ
	वनखंड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र०	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1-	धनिया अ	उरईचुवा	शासकीय राजस्व भूमि	224	16.500	उत्तर:- संरक्षित वनखण्ड धनिया अ के मुनारा क्रमांक 1 से संरक्षित वनखण्ड धनिया के मुनारा क्रमांक 26 एवं 27 के मध्य वन सीमा पर स्थापित मुनारा क्रमांक 26/1 तक की कृत्रिम वन सीमा। पूर्व:- मुनारा क्रमांक 26/1 से संरक्षित वनखण्ड धनिया के मुनारा क्रमांक 21 एवं 22 मध्य वन सीमा पर स्थापित मुनारा क्रमांक 21/1 तक की वन सीमा। दक्षिण:- मुनारा क्रमांक

						21/1 से संरक्षित वनखण्ड धनिया अ के मुनारा क्रमांक 6 तक की कृत्रिम वन सीमा।
						पश्चिम: संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 6 से मुनारा क्रमांक 15 होते हुये मुनारा क्रमांक 1 तक की कृत्रिम वन सीमा।
				योग	16.500	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:-

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश क्रमांक/FP/MP/ROAD/495295 दिनांक 07.05.2025 में अधिरोपित शर्त के अनुसार वनमण्डल सतना एवं मैहर में प्रभावित रकवा 16.486 हेक्टेयर व्यवर्तित वनभूमि की स्वीकृति परियोजना आवेदक कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सतना को नागौद से मैहर वल्लया सुरदह-परसमनियां रामपुर मैहर मार्ग निर्माण के एवज अनुसूची में वर्णित रकवा 16.500 हेक्टेयर गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर सतना के आदेश क्रमांक/0012/A 20(3)2024-25 दिनांक 11.12.2024 से एवं पृष्ठांकन क्रमांक/226/आ0/चार0आर0/2024 सतना दिनांक 11.12.2024 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण- निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी कलेक्टर सतना के प्रतिवेदन क्रमांक/0012/A 20(3)2024-25 दिनांक 11.12.2024 से एवं पृष्ठांकन क्रमांक/226/आ0/चार0आर0/2024 सतना दिनांक 11.12.2024 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैं-

1. व्यक्तिगत अधिकार- उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।

2. सामुदायिक अधिकार- उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के

अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 17 अक्टूबर 2025

क्र. PCCF-7-0572-2025-FLR-PCCF.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक PCCF-7-0572-2025-FLR-PCCF, दिनांक 17 अक्टूबर 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

Bhopal, the 17th October 2025

No./PCCF/7/0572/2025-FLR-PCCF :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927(xvi of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communication in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the state government from time to time.

SCHEDULE

District -Satna

Tehsil- Unchehara

Forest Division - Satna

Range-Unchehara

S.No.	Name of Forest Block	Detail of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectare)	
1.	Dhaniya-A	Uraichuwa	Government Revenue Land	224	16.500	North: From pillar number 1 of Protected Forest Block Dhaniya 'A' to pillar numbers 26 and 27 of Protected Forest Block Dhaniya, up to the artificial forest boundary established at pillar number 26/1 on the forest boundary. East: From pillar number 26/1 to pillar numbers 21 and 22 of Protected Forest Block Dhaniya, up to the forest boundary established at pillar number 21/1 on the forest boundary. South: From pillar number 21/1 to

						pillar number 6 of Protected Forest Block Dhaniya 'A', along the artificial forest boundary.
						West: From pillar number 6 of the Protected Forest Block, passing through pillars 15 up to pillar number 1, along the artificial forest boundary.
			Total		16.500	

(A) Reason for publication of Notification:-

1. In accordance with the condition laid down in the Govt. of India. Ministry of Environment and forest and Climate Chang letter No FP/MP/ROAD/495295/ 2024 dated 07-05-2025 and in lieu of 16.486 Hectare of affected forest land under the sanctioned project of Executive Engineer Department of PWD Satna (Nagod to Maihar via Surdaha-parasmaniya- Rampur- Maihar Road) the above mentioned Non Forest Land of 16.500 Hectare and transferred or muted in favour of M.P. Govt., Forest Department by collector, Satna order No 0012/A20(3)/2024-25 dated 11-12-2024 and copy No 266/a/CHAR.. ARR./2024 date. 11-12-2024 for the purpose of compensatory afforestation.

2. Details of other Reasons- Nil

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per collector, Satna order No 0012/A20(3)/2024-25 dated 11-12-2024 and copy No 266/a/CHAR.. ARR./2024 date. 11-12-2024 are as under.

1. Individual Rights- Nil
2. Community Rights- Nil

Therefore, the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty & Ex-officio Dy. Secy.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र.-0025-अ-82-2024-25-भू-अर्जन-2025-8588-मौजा नरयावली पट.ह.नं.-14 तह. सागर सागर, दिनांक 3 अक्टूबर 2025

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग सागर के प्रस्ताव अनुसार नरयावली-लुहरी मार्ग में बीना-कटनी रेल्वे सेक्शन के कि.मी. 1029/9-10 में समपार क्रमांक-16 के ऐवज में आर.ओ.बी. का निर्माण हेतु समुचित सरकार मौजा नरयावली पटवारी हल्का नंबर-14 तहसील सागर जिला सागर स्थित भूमि खसरा नंबर 211/1, 211/2, 211/3, 211/4, 211/5/1, 211/5/2, 209/1, 209/2, 208/1/2, 310/1/2, 310/2/2, 310/2/2, 316/1, 316/3, 316/4, 316/5, 316/6, 316, 846, 151/2/1, 151/2/2, 153, हे. में से कुल रकवा 76.050 भूमि का अर्जन करना चाहती है। समुचित सरकार द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 के तहत गठित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन दल द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन उपरांत मध्य प्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2015 के नियम 5 के तहत प्ररूप-ख में सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं प्ररूप-ग में सामाजिक समाघात प्रबंध योजना प्रस्तुत की गई है जो इस सूचना के साथ संलग्न कर प्रकाशित की जा रही है।

संलग्न:- प्ररूप-ख एवं ग

संदीप जी.आर., कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

1. परियोजना का नाम	सागर जिले में नरयावली-लुहरी मार्ग में बीना-कटनी रेल्वे सेक्शन के कि. मी. 1029/9-10 में समपार क्रमांक-16 के ऐवज में आर.ओ.बी. का निर्माण कार्य।
2. लोक प्रयोजन	आम जन के सुगम आवागमन हेतु सागर जिले में नरयावली-लुहरी मार्ग में बीना-कटनी रेल्वे सेक्शन के कि.मी. 1029/9-10 में समपार क्रमांक-16 के ऐवज में आर.ओ.बी. का निर्माण कार्य।
3. स्थल	मौजा नरयावली में खसरा नं. 211/1, 211/2, 211/3, 211/4, 211/5/1, 211/5/2, 209/1, 209/2, 208/1/2, 310/1/2, 310/2/2, 316/1, 316/3, 316/4, 316/5, 316/6, 316/846, 151/2/1, 151/2/2, 153 भूमि है।
4. परियोजना का क्षेत्र	मौजा नरयावली में खसरा नं. 211/1, 211/2, 211/3, 211/4, 211/5/1, 211/5/2, 209/1, 209/2, 208/1/2, 310/1/2, 310/2/2, 316/1, 316/3, 316/4, 316/5, 316/6, 316/846, 151/2/1, 151/2/2, 153 में रकबा क्रमशः 0.08 हे., 0.07 हे., 0.03 हे., 0.02 हे., 0.01 हे., 0.05 हे., 0.02 हे., 799 वर्गफुट(74.230मी.), 828 वर्गफुट(76.924मी.), 2310 वर्गफुट (214.61मी.), 500वर्गफुट(46.452मी.), 575 वर्गफुट(53.419मी.), 425वर्गफुट(39.48मी.), 375 वर्गफुट(34.84मी.), 0.05 हे., 0.03 हे., 0.23 हे., 0.03 हे. भूमि प्रभावित है।
5. विकल्प जिन पर विचार किया गया	प्रस्तावित भूमि पर अतिरिक्त आर.ओ.बी. निर्माण हेतु अन्य कोई उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है।
6. विकासकर्ता की पृष्ठ भूमि नियंत्रण सशिल	कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग सागर
7. परियोजना निर्माण के चरण	निर्माण कार्य प्रथम चरण में है जिसमें रेल्वे क्षेत्र में रेल्वे का कार्य प्रगति पर है। भू-अर्जन उपरांत आर.ओ.बी. का निर्माण कार्य द्रुत गति से पूर्ण कर लिया जाएगा।
8. परियोजना के प्रभाव को समझना क्षेत्र के नक्शे	संलग्न है।
9. परियोजना के लिये आवश्यक कुल भूमि	0.70 हे. एवं 539.955 वर्गमीटर
10. भूमि का मूल्य	वर्ष 2025-26 की गाईड लाईन के आधार पर
11. प्रभावित परिवार/कुटुंब की संख्या	29
12. परिसमाप्ति	मकान, टिन शेड टेन्ट हाऊस
13. विस्थापित होने वाले समाविष्ट परिवारों की संख्या	02
	1. शांतिबाई पत्नि संजू साहू - 500 वर्ग मी. (पक्का मकान) 2. रजनी देवी पत्नी श्री कल्लोवाई मुन्नी पुत्री मुन्नी - 125 वर्ग मी. (पक्का मकान)
14. सामाजिक समाघात	निरस्त
15. विकल्प जिन पर विचार किया गया	प्रभावित भूमि पर अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है।
16. निष्कर्ष	प्रस्तावित भूमि पर आर.ओ.बी. निर्माण से क्षेत्र/परिवार/व्यक्ति पुनर्व्यवस्थापित होगा तथा आम जन को आवागमन की सुविधा होगी। भूमि अर्जन से प्रभावित भू-धारक की जीविका अर्जन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। अतः क्षेत्र के विकास हेतु प्रस्तावित भूमि का अर्जन किया जाना उचित है।

प्रारूप—ग

(नियम 5 देखिए)

सामाजिक समाघात प्रबंध योजना

निम्नलिखित पर समाघातों के समाधान हेतु आवश्यक सुधारात्मक उपाय:-

1. प्रभावित परिवारों को जीविका :- अप्रभावित है।
2. लोक और सामुदायिक परिसम्पत्तियों :- अप्रभावित है।
3. आस्तियों और अधोसंरचना विशेषकर सड़के, लोक परिवहन :- अप्रभावित है, एवं आर.ओ.बी. के दोनों सर्विस रोड निर्माण का प्रावधान है।
4. जल-मल निकासी एवं रखरखाव :- अप्रभावित है।
5. पेयजल का स्रोत :- अप्रभावित है।
6. पशुओं के लिए जलस्रोत :- अप्रभावित है।
7. सामुदायिक तालाब :- नहीं है।
8. जन सुविधाएं (जैसे- पोस्ट ऑफिस, उचित मूल्य दुकान, विद्युत आपूर्ति, स्वास्थ्य सुविधाएं, स्कूल, ऑगनवाडी बाल उद्यान और कनेक्स्टिंग एर समाधान) :- 1. खसरा नं. 211/4 में टीन शेड टेन्ट हाऊस प्रभावित है।
2. खसरा नं. 316/846 में प्रभावित भू-धारकों के पक्का मकान व अर्द्ध पक्का मकान प्रभावित है।
9. वे उपाय जिनके बारे में अपेक्षक निकाय का कथन है, कि वह प्रस्तावित परियोजना में शामिल करेगा। :- आर.ओ.बी. के दोनों सर्विस रोड निर्माण एवं नाली निर्माण का प्रावधान है।
10. अतिरिक्त उपाय जिनके बारे में अपेक्षक निकाय का कथन है कि सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया और जन सुनवाईयों के निष्कर्षों के प्रति उत्तर में उसका जिम्मेवारी लेगा। :- अपेक्षक निकाय सहमत है।

परिसम्पत्तियों का विवरण पत्रक

विषय:- सागर जिले में नरयावली-लुहारी मार्ग में बीना-कटनी रेल्वे सेक्शन के कि.मी. 1029/9-10 में समपार क्रमांक-16 के ऐवज में आर.ओ.बी. का निर्माण कार्य।

क्र.	भू-स्वामियों का नाम	खसरा नं.	परिसम्पत्ति का नाम	रिमार्क
1	2	3	4	5
1.	रमेश सीताराम बलराम श्यामलाल पिता शोभाराम सा. देह	211/4	0.03 हे. (टीन शेड टेन्ट हाऊस)	
2.	शांतिबाई पत्नि संजु साहू सा. सागर 93/500 भाग	316/846	500 वर्ग मी. (पक्का मकान)	
	शब्दीर पिता मुनीर खों कल्लोबाई मुन्नी पुत्री मुनीर खों 407/500 भाग		125 वर्ग मी. (अर्द्ध पक्का मकान)	

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश

राजगढ़, दिनांक 15 अक्टूबर 2025

क्रमांक 8581 / भू-अर्जन / 2025 चूकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके सलग्न अनुसूची-1 के खाने (4) में वर्णित मकानों की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक 0.0.0. / अ-82/2024-25 चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में सुठालिया सिंचाई परियोजना तहसील-सुठालिया जिला-राजगढ़ के ग्राम-गुजरखेड़ीकलां (ii) के डूब क्षेत्र के प्रभावित आबादी के अन्तर्गत मकान जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची-2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और परदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 (क्र. 30 सन 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है, कि अनुसूची-2 के मकानों की अनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

-: अनुसूची (1) :-

सुठालिया वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र प्रभावित मकान :- ग्राम-गुजरखेड़ीकलां (ii)

स.क्र.	ग्राम का नाम	अर्जनीय मकानों का रकबा		सार्वजनिक प्रयोजन विवरण
		कुल कृषक	रकबा (वर्ग मीटर में)	
1	2	3	4	5
1	गुजरखेड़ीकलां (ii)	141	25894.07	सुठालिया सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु
योग :-		141	25894.07	

-: अनुसूची (2) :-

तहसील :- सुठालिया

जिला :- राजगढ़

सुठालिया वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र प्रभावित मकान :- ग्राम-गुजरखेड़ीकलां (ii)

स.क्र.	आबादी के सर्वे नम्बर	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	मकान नम्बर	अर्जनीय मकान का माप क्षेत्रफल वर्ग मीटर में
1	2	3	4	5
1	96/3/1	जसरथसिंह पिता बालाबगस जाति गुर्जर	32(A)	579.19
2	96/3/2	पानबाई पति लाखनसिंह जाति हरिजन	32(B)	13.68
3	139	धीरपसिंह पिता श्री बालाबगस जाति गुर्जर	33	285.12
4	139	जसमंतसिंह पिता बालाबगस जाति गुर्जर	34	429.11
5	137/2	कमलसिंह पिता मेहताबसिंह जाति गुर्जर	35	285.36
6	137/2	रामसिंह पिता मेहताबसिंह जाति गुर्जर	36	224.97
7	100	सोनू पिता घीसालाल जाति गुर्जर	37	225.20
8	100	चांदबाबू पिता प्रेमसिंह जाति गुर्जर	38	292.87
9	100	नारायणसिंह पिता प्रेमसिंह गुर्जर	39(A)	200.76
10	100	नारायणसिंह पिता प्रेमसिंह जाति गुर्जर	39(B)	37.20
11	100	तुलसीराम पिता शिवनारायण गुर्जर	40	35.70
12	100	रामबाबू पिता बंशीलाल जाति गुर्जर	41	318.75
13	100	भगवतीबाई पति सर्जनसिंह जाति गुर्जर	42	181.04
14	100	मोरसिंह पिता नारानसिंह जाति गुर्जर	43	183.62
15	100	उमरावसिंह पिता मांगीलाल जाति गुर्जर	44	100.83
16	100	भंवरसिंह पिता सावंतसिंह जाति गुर्जर	45	226.06
17	100	जगदीशसिंह पिता पर्वतसिंह जाति गुर्जर	46(A)	119.53

स.क.	आबादी के सर्वे नम्बर	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	मकान नम्बर	अर्जनीय मकान का माप क्षेत्रफल वर्ग मीटर में
18	100	भजनसिंह पिता पर्वतसिंह जाति गुर्जर	46(B)	101.84
19	100	दीनदयाल पिता पर्वतसिंह जाति गुर्जर	46(C)	103.50
20	100	कसूबाई पति बालाबगस जाति गुर्जर	47(A)	135.23
21	100	शिवचरण पिता रामप्रसाद जाति गुर्जर	47(B)	105.32
22	100	दिनेश पिता प्रेमसिंह जाति गुर्जर	48(A)	88.74
23	100	भंवरीबाई पति धनराज जाति गुर्जर	48(B)	44.85
24	100	मांगीलाल पिता रामसिंह जाति गुर्जर	48(C)	66.00
25	100	बापुलाल पिता रामसिंह जाति गुर्जर	49	290.67
26	100	होकमसिंह पिता प्रतापसिंह जाति गुर्जर	50(A)	106.30
27	100	चैनसिंह पिता प्रतापसिंह जाति गुर्जर	50(B)	85.63
28	104	प्रतापसिंह पिता देवाजी जाति गुर्जर	50(C)	101.05
29	103/5	माखन पिता मांगीलाल जाति गुर्जर	51	181.67
30	103/5	मनोहर पिता मांगीलाल जाति गुर्जर	52	133.80
31	103/4	आजादसिंह पिता प्रेमसिंह जाति गुर्जर	53(A)	217.92
32	103/4	प्रेमसिंह पिता रामसिंह जाति गुर्जर	53(B)	102.66
33	79	भगवानसिंह पिता रतनसिंह जाति राजपूत	54	168.46
34	103/1	रामचरण पिता परतावसिंह जाति गुर्जर	55	198.79
35	105	पर्वतसिंह पिता रामबगस जाति गुर्जर	56	476.55
36	100	रामबगस पिता अमराजी जाति गुर्जर	57	64.68
37	100	भरतराम पिता रामबगस जाति गुर्जर	58	59.82
38	100	रामबाबू पिता बलराम जाति गुर्जर	59	60.06
39	100	दौलतराम पिता बलरामसिंह जाति गुर्जर	60	111.44
40	105	बलराम पिता अमराजी जाति गुर्जर	61	64.00
41	105	नारायणसिंह पिता रामबगस जाति गुर्जर	62	90.03
42	100	इन्दरसिंह पिता कालूसिंह जाति गुर्जर	63	157.49
43	100	जवारलाल पिता कालुजी जाति गुर्जर	64	74.54
44	100	कमलाबाई पति घीसालाल जाति गुर्जर	65	139.95
45	100 / 128/1/2	गणपतसिंह पिता भंवरलाल गुर्जर	66	340.24
46	100	गंगाराम पिता कालूजी जाति गुर्जर	67	165.27
47	100	दयाराम पिता हीरालाल जाति गुर्जर	68	171.82
48	100	अर्जुनसिंह पिता रामसिंह	69	206.75
49	100	मलखानसिंह पिता किशनसिंह जाति राजपूत	70	108.33
50	100	माखनसिंह पिता मलखानसिंह जाति राजपूत	71	113.26
51	100	रामसिंह पिता हीरालाल जाति गुर्जर	72	78.76
52	100	उकारलाल पिता हीरालाल जाति गुर्जर	73	22.54
53	100	सूरजसिंह पिता उकारसिंह जाति	74	149.45
54	129	मेहताबसिंह पिता देवाजी जाति गुर्जर	75	46.73
55	129	भगवतसिंह पिता देवाजी जाति गुर्जर	76	135.05
56	129	अशोक पिता भगवतसिंह जाति गुर्जर	77	114.08
57	130/1	नारानसिंह पिता मलखानसिंह जाति राजपूत	78	211.78
58	130/1	बापूलाल पिता भंवरलाल जाति गुर्जर	79	113.48
59	130/1	श्यामलाल पिता बापूलाल जाति	80	66.73
60	130/1	हिम्मतसिंह पिता बापूलाल जाति गुर्जर	81	84.36
61	129 / 125	जसवंतसिंह पिता चैनसिंह जाति गुर्जर	82	323.85
62	129 / 125	दिनेशसिंह पिता चैनसिंह जाति गुर्जर	83	216.94

स.क.	आबादी के सर्वे नम्बर	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	मकान नम्बर	अर्जनीय मकान का माप क्षेत्रफल वर्ग मीटर में
63	130/1	चैनसिंह पिता बंशीलाल जाति गुर्जर	84	426.89
64	130/1	मानसिंह पिता हरिसिंह जाति गुर्जर	86	88.58
65	130/1	पुनिया पिता हरिसिंह जाति गुर्जर	87	31.06
66	130/1 / 126/5	मनोहर पिता हरिसिंह जाति गुर्जर	88	327.54
67	119	मांगीलाल पिता कनीराम जाति गुर्जर	89	169.72
68	126/6	केशरसिंह पिता बंशीलाल जाति गुर्जर	90	75.11
69	126/6	भरतराम पिता केशरसिंह जाति गुर्जर	91	63.10
70	118/5/1	बलराम पिता भावसिंह जाति गुर्जर	92	99.70
71	118/5/2	दौलतसिंह पिता भावसिंह जाति गुर्जर	93	84.42
72	126/4	जालमसिंह पिता दयाराम जाति गुर्जर	94	95.70
73	126/4	विष्णु पिता दयाराम जाति गुर्जर	95	91.95
74	126/3	जगदीशसिंह पिता रामसिंह जाति गुर्जर	96	180.91
75	126/3	संदीप पिता जगदीश जाति गुर्जर	97	138.93
76	126/3	सौरामसिंह पिता उकार जाति गुर्जर	98	156.12
77	126/1	दशरथसिंह पिता अमरसिंह जाति गुर्जर	99	227.50
78	126/1	दयालसिंह पिता अमरसिंह जाति गुर्जर	100	71.20
79	126/1	सरजनसिंह पिता कालूजी जाति गुर्जर	101	143.53
80	126/1	दीपकसिंह पिता सरजनसिंह जाति गुर्जर	102	105.58
81	165/1	गजराजसिंह पिता गोविन्दसिंह जाति गुर्जर	103	560.51
82	165/1	महेन्द्रसिंह पिता गोविन्द जाति गुर्जर	104	294.21
83	165/1	कन्हैयालाल पिता अमृतलाल जाति गुर्जर	105	269.43
84	165/1	हरनारायण पिता कन्हैयालाल जाति गुर्जर	106	186.85
85	165/1	राधेश्याम पिता कन्हैयालाल जाति गुर्जर	107	155.88
86	135/1	चन्द्रसिंह पिता लाखनसिंह जाति गुर्जर	108	347.03
87	135/1	नरेन्द्रसिंह पिता लाखनसिंह जाति गुर्जर	109	286.94
88	134/1	लाखनसिंह पिता अमृतलाल जाति गुर्जर	110	163.57
89	135/1	गोविन्द सिंह पिता अमृतलाल जाति गुर्जर	111	65.88
90	109	हेमराज पिता दौलतसिंह जाति गुर्जर	112	241.17
91	131/1	देवराज पिता दयालसिंह जाति गुर्जर	113	165.51
92	131/1	बलदेवसिंह पिता सागरसिंह जाति गुर्जर	114	121.12
93	131/1	भोजराजसिंह पिता गजराजसिंह जाति गुर्जर	115	113.17
94	100	काशीराम पिता हरिसिंह जाति गुर्जर	116	82.56
95	135/1	दयालसिंह पिता फतेसिंह जाति गुर्जर	117	79.91
96	135/1	लाडसिंह पिता फतेसिंह जाति गुर्जर	118	122.04
97	135/1	फतेसिंह पिता पर्थी जाति गुर्जर	119	49.56
98	135/1	धनराज पिता गोपीलाल जाति गुर्जर	120	86.51
99	135/1	विष्णु पिता धनराज जाति गुर्जर	121	86.11
100	127/1/1	रामचरण पिता गुलाबसिंह जाति गुर्जर	122	499.43
101	127/1/1	बनेसिंह पिता गुलाबसिंह जाति गुर्जर	123	223.89
102	144/1	मांगीलाल पिता काशीराम जाति गुर्जर	124	352.34
103	144/1	जगदीशसिंह पिता पर्वतसिंह जाति गुर्जर	125	187.21
104	137/1	सावंतसिंह पिता मानसिंह जाति गुर्जर	126	319.10
105	100	ममताबाई पति हरिसिंह जाति गुर्जर	127	232.87
106	128/1/2	विक्रमसिंह पिता भारतसिंह जाति गुर्जर	128	92.76
107	128/1/2	घनश्याम पिता भारतसिंह जाति गुर्जर	129	137.82

स.क.	आबादी के सर्वे नम्बर	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	मकान नम्बर	अर्जनीय मकान का माप क्षेत्रफल वर्ग मीटर में
108	128/1/2	भारतसिंह पिता भंवरलाल जाति गुर्जर	130	184.73
109	128/1/2	नारायणसिंह पिता भंवरलाल जाति गुर्जर	131	113.40
110	128/1/2	दिलीपसिंह पिता नारायणसिंह जाति गुर्जर	132	98.00
111	128/1/2	सम्पतराम पिता नारायणसिंह जाति गुर्जर	133	134.07
112	126/1	अमरसिंह पिता कालूजी जाति गुर्जर	134	119.26
113	144/1	चंदरसिंह पिता दौलतसिंह जाति गुर्जर	135	249.57
114	144/1	महेश पिता चंदरसिंह जाति गुर्जर	136	279.84
115	45/3	मुकेश पिता सर्जन सिंह जाति गुर्जर	139	107.48
116	41/5	पर्वतसिंह पिता भागीरथ जाति गुर्जर	140	377.24
117	45/2	दौलतसिंह पिता भागीरथ जाति गुर्जर	141	107.12
118	41/4	संदीप पिता धीरपसिंह जाति गुर्जर	142	261.56
119	41/4	रघुनन्दन पिता धीरपसिंह जाति गुर्जर	143	358.76
120	41/3	निरंजन पिता जशरथसिंह जाति गुर्जर	144	236.40
121	41/5	जेश पिता भजनसिंह जाति गुर्जर	145	240.99
122	41/2	श्री राम पिता जशरत सिंह जाति गुर्जर	146	804.14
123	24	हरकवर बाई पति सुमेरसिंह जाति गुर्जर	147	433.64
124	9/4	नारायणसिंह पिता काशीराम जाति गुर्जर	148	116.05
125	9/4	धनश्याम पिता नारायणसिंह जाति गुर्जर	149	199.47
126	2	धीसालाल पिता बंशीलाल गुर्जर	150	221.55
127	2	जितेन्द्र पिता धीसालाल जाति गुर्जर	151	94.72
128	85	सागरसिंह पिता कांशीराम जाति गुर्जर	152	231.44
129	85	करणसिंह पिता सागरसिंह जाति गुर्जर	153	177.40
130	85	दयालसिंह पिता काशीराम जाति गुर्जर	154	318.77
131	85	गजराजसिंह पिता कांशीराम जाति गुर्जर	155	370.64
132	85	भैरुसिंह पिता मेहताबसिंह जाति गुर्जर	156	117.36
133	85	रामचंदर पिता मेहताबसिंह जाति गुर्जर	157	148.92
134	100	मंदिर पुजारी मकान	158	126.85
135	105	मंदिर श्री देवनारायण जी	159	57.27
136	128/2	मंदिर श्री खेड़ापति हनुमान जी	160	407.97
137	127/1	मंदिर श्री राधाकृष्ण जी	161	168.78
138	14	सोनू पिता शिवचरण जाति गुर्जर	162	291.20
139	14	पुरुषोत्तम पिता शिवचरण जाति गुर्जर	163	408.50
140	41	धीरपसिंह पिता बालाबगस जाति गुर्जर	165	245.82
141	126/4	विष्णु पिता दयाराम जाति गुर्जर	166	44.88
योग :-				25894.07
			या.(हे.मे)	2.589

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा, जिला - राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

गिरीश कुमार मिश्रा, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश

प्र.क्र. 0010-अ-82-2025-26-क्र.9731-भू-अर्जन-2025

उज्जैन, दिनांक 17 अक्टूबर 2025

अंतर्गत धारा 11 भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013)

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में सिंहरथ महापर्व 2028 हेतु क्षिप्रा नदी के दोनों तरफ घाट निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने में (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 में धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित ध्यायेतों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति- इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के द्वारा कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन हितग्राहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलग्न सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य सिंहरथ महापर्व 2028 हेतु क्षिप्रा नदी के दोनों तरफ घाट निर्माण के लिए है जो मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग, भोपाल में स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतियेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षत्रीय विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोअरहित में है। साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतियेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की निशुक्ति आवश्यक नहीं है।

अनुसूची (1)

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
सिंहरथ महापर्व 2028 हेतु क्षिप्रा नदी के दोनों तरफ ग्राम शक्करवासा में घाट निर्माण कार्य हेतु।	0.1870 हेक्टर

:- अनुसूची (1) :-

1. भूमि का विवरण :-
2. जिला- - उज्जैन
3. तहसील - उज्जैन कोठी महल
4. ग्राम - शक्करवासा
5. निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल - 0.1870 हे.

क्र.	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे. में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
1	18/6/1/1	0.1480	परियोजना प्रशासक नमामि क्षिप्रा परियोजना क्रियान्वयन इकाई-01 जल संसाधन विभाग उज्जैन	सिंहरथ महापर्व 2028 हेतु क्षिप्रा नदी के घाट निर्माण हेतु ग्राम शक्करवासा के दोनों तरफ घाट निर्माण हेतु
2	18/6/2	0.0390		
कुल रकबा		0.1870		

अधिनियम की धारा-15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (षाट्) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में अद्योदस्ताक्षरकर्ता के समक्ष पक्षपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) अद्योदस्ताक्षरकर्ता में देख जा सकता है।

प्र.क्र. 0008-अ-82-2025-26-क्र.9732-भू-अर्जन-2025

अंतर्गत धारा 11 भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन 2013)

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में सिंहस्थ महापर्व 2028 हेतु क्षिप्रा नदी के दोनों तरफ घाट निर्माण के लिए भू अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने में (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है। अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 में धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति- इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के द्वारा कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या संव्यवहार नहीं करेगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन श्रितवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करके हेतु अधिकृत करता है।

यह कार्य सिंहस्थ महापर्व 2028 हेतु क्षिप्रा नदी के दोनों तरफ घाट निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय, भोपाल में स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है। साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासन को नियुचित आवश्यक नहीं है।

अनुसूची (1)

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल है, जो है
सिंहस्थ महापर्व 2028 हेतु क्षिप्रा नदी के दोनों तरफ ग्राम गोंयलाखुर्द में घाट निर्माण कार्य हेतु।	37.48 हेक्ता

—: अनुसूची (1) :-

1	भूमि का विवरण :	
2	जिला	संजौन
3	तहसील	संजौन तहसील
4	ग्राम	गोंयलाखुर्द
5	निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल	37.48 है

क्र.	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे. में)	धारा-12 व. अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	प्लॉट परियोजना का वर्णन
1	143/8	0.0820		
2	143/7	0.0700		
3	143/6	0.0820		
4	143/5	0.122		
5	143/1	0.595		
6	51/3/1.	0.2860		
	51/3/2			
7	51/1/1	0.0780		
8	49/3	0.1090		
9	49/4/3	0.0620		
10	49/4/2/2	0.0250		
11	49/4/1/3	0.0230		
12	49/4/1/2	0.0240		
13	49/4/1/1	0.0230		
14	32/7	0.0390	परियोजना प्रशासक सम्मति क्षिप्रे परियोजना क्रियान्वयन इकाई-01 जल साराजन विभाग सुन्दर	सिंहसा महापर्व 2028 हेतु क्षिप्रे नदी के घाट निर्माण हेतु ग्राम मोथलखुर्द के दोनो तर्फ घाट निर्माण हेतु।
15	32/6	0.1090		
16	32/4	0.1170		
17	31/2/2	0.0770		
18	31/1/2/2	0.1170		
19	31/1/1/1	0.0390		
20	26/2/2/1/1	0.0310		
21	26/2/2/2	0.0390		
22	26/2/1/1	0.7430		
23	26/1	0.0820		
24	2/6	0.0550		
25	2/1/4	0.0400		
26	26/2/1/6	0.0400		
27	2/5	0.0980		
28	2/1/2	0.3860		
29	2/4	0.0660		
30	2/3	0.0230		
31	2/2	0.0660		
G.Total		3.748		

अर्धनियम की धारा-15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की प्रतिलिपि से छह (6) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के अर्थ में अद्योपस्थापना की जा सकती है। यदि कोई भी फाईल किया जा सकता है। भूमि का प्रस्ताव (प्लान) प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को देखा जा सकता है।

प्र.क्र. 0007-अ-82-2025-26-क्र.9733-भू-अर्जन-2025

अंतर्गत धारा 11 भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013)

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में सिंहस्थ महापर्व 2028 हेतु क्षिप्रा नदी के दोनों तरफ घाट निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने में (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 में धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति- इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के द्वारा कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई व्यवहार नहीं करेगा, या व्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन हितप्राप्तियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलग्न सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य सिंहस्थ महापर्व 2028 हेतु क्षिप्रा नदी के दोनों तरफ घाट निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन जल ससाधन विभाग भोपाल में स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है। साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नहीं है।

अनुसूची (1)

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
सिंहस्थ महापर्व 2028 हेतु क्षिप्रा नदी के दोनों तरफ ग्राम नानाखेड़ा में घाट निर्माण कार्य हेतु।	24893 हेक्टर

:- अनुसूची (1) :-

1. भूमि का विवरण :-
2. जिला :- उज्जैन
3. तहसील :- उज्जैन कोठी महल
4. ग्राम :- नानाखेड़ा
5. निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल :- 24893 हे

क्र.	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे. में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	0.0940		
2	3	0.0460		
3	5	0.1050		
4	6	0.0130		
5	7	0.0900		
6	8	0.0730		
7	9	0.1460		
8	16/1	0.1570		
9	16/2	0.1670		
10	15/2/2	0.0400		
11	17/1/1	0.0570		
12	17/2/1, 18	0.0530		
13	17/2/2	0.0073		
14	20	0.0210	परियोजना प्रशासक नमामि क्षिप्रे परियोजना क्रियान्वयन इकाई-01 जल संसाधन विभाग उज्जैन	सिहरस्थ महापर्व 2028 हेतु क्षिप्रे नदी के घाट निर्माण हेतु ग्राम नानाखेडा के दोनों तरफ घाट निर्माण हेतु।
15	21/1	0.1790		
16	44/2	0.1570		
17	45/2	0.0310		
18	80/8/1/1/1/1/2	0.0450		
19	80/8/1/1/1/1/1	0.0100		
20	80/7/1/1/1/1	0.0260		
21	80/7/1/1/1/2	0.0440		
22	80/6/1/1/1	0.0510		
23	80/5/1/1/1	0.2040		
24	75	0.1800		
25	76/1, 77	0.1450		
26	77/2	0.1050		
27	78	0.0390		
28	79	0.0980		
29	80/1/1	0.0660		
30	80/5/1/3	0.0400		
	कुल रकबा	2.4893		

अधिनियम की धारा-15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से एक (01) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में अद्योहस्ताक्षरकता में सम्मिलित आक्षेपों यदि कोई हो फाइल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) अद्योहस्ताक्षरकता में उपलब्ध हो देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोशनकुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.